

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर  
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103002882015

दांडिक प्रकरण क.-129 / 2015

संस्थापित दिनांक-09.07.2015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर। <div>.....अभियोजन</div>	
विरुद्ध	
01-लाखनसिंह पुत्र दीवानसिंह राजपूत आयु 52 वर्ष निवासी ग्राम बारी, चंदेरी जिला अशोकनगर <div>आरोपी</div>	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:- श्री आर एस यादव अधिवक्ता।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 13.09.2017 को घोषित)

- 01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 354,323 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
- 02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।
- 03- अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी

रूपबती ने दिनांक 20.04.15 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 20.04.15 को 8:00 बजे प्रातः जंगल के रास्ते पर आरोपी आया और उसको बुरी नियत से पकड़ लिया तथा उसकी छाती दबा दी जिस पर से वह चिल्लाई और चिल्लाने पर आरोपी भाग गया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 117/15 के अंतर्गत भादवि की धारा 354, 323 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 354 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 20.04.15 को 8:00 बजे जंगल के रास्ते पर फरियादी रूपबती को बुरी नियत से पकड़कर उसकी छाती दबाकर उस पर आपराधिक वल का प्रयोग किया ?

#### —:: सकारण निष्कर्ष ::—

06— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 रूपबती एवं अ0सा02 रामबाबू की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 01 अ0सा01 ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को उसका आरोपी से वाद विवाद हो गया था जिस पर से उसने आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट लेख करा दी थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी ने उसे बुरी नियत से पकड़ लिया था। इसी प्रकार अ0सा02 ने भी इस बात से इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी ने उसकी पत्नी को बुरी

नियत से पकड़ लिया था। दोने साक्षीगण ने पुलिस को कथन देने से इंकार किया है। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी ने फरियादी को बुरी नियत से पकड़ कर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया।

08— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 354 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

09— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

10— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

11— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)